संख्या–1539/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2020

विषयः–प्रदेश में कोविड–19 से संक्रमित लक्षण विहीन रोगियों के लिए होटल में **एल–1+** स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1515/पॉच–5–2020 दिनांक 18.07.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा प्रदेश में कोविड–19 से संक्रमित लक्षण विहीन रोगियों के लिए होटल में **एल–1+** स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश में यह उल्लेख है कि डबल अकूपेन्सी के अच्छे कमरे का किराया प्रतिदिन रू0 2000/– एवं सिंगल अकूपेन्सी पर प्रतिदिन रू0 1500/– से अधिक नहीं होना चाहिए।

2– इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित कमरों की दर में नियमित भोजन एवं नाश्ते पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। अतरिक्त वस्तुओं की मांग करने पर ग्राहक को पृथक से भुगतान करना होगा। अतः **एल–1+** स्तर की चिकित्सा सुविधा वाले होटलों में नियमित भोजन एवं नाश्ते पर होने वाला व्यय रोगियों से अलग से नहीं लिया जाएगा।

3– यह स्पष्टीकरण जनपद लखनऊ के आनन्दी वाटर पार्क, फैजाबाद रोड, लखनऊ तथा जनपद गाजियाबाद में होटल इलाइट एवं होटल तरू–इन के लिए पृथक से जारी किए गए शासनादेशों के सम्बन्ध में भी लागू होगा। दरों में कमरे का किराया एवं नियमित भोजन एवं नाश्ते का व्यय सम्मिलित है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
24.7.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1539(1)/पॉच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्स शिक्षा विभाग/आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
9. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

vk sir.go-com4